सं0- 02/2016/8958/62-2-2015-2/3(93)/2010

सेवा में,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 08 जनवरी,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन की योजना (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तालाबों का सुदृढीकरण एवं पुर्नरूद्वार, चेकडैमों का निर्माण तथा टयूबवेलों का पुर्नरूद्वार) (राज्य योजना) में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-222/ल0सिं0/बजट-ते0वि0आ0/2010-11, दिनांक 22.09.2015 एवं पत्र सं0-जी-243/ल0सिं0/बजट/ ते0वि0आ0/2010-11, दिनांक 20.10.2015 तथा पत्र सं0-जी-273/ल0सिं0/बजट/ ते0वि0आ0/2010-11, दिनांक 01.12.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण् करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन 13वें वित्त आयोग के क्रियान्वयन की योजना (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तालाबों का सुदृढीकरण एवं पुर्नरूद्वार, चेकडैमों का निर्माण तथा टयूबवेलों का पुर्नरूद्वार) (राज्य योजना) में प्राविधानित धनराशि `&5000.00 लाख के सापेक्ष जनपद झॉसी, जालौन, ललितपुर, बॉदा, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट के अधूरे निर्माण कार्यो को पूर्ण किये जाने एवं पूर्ण कार्यो के लम्बित भुगतान/देयता हेतु अपेक्षित धनराशि `&3117.68 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि `&1558.84 लाख (`&पन्द्रह करोड अटठावन लाख चौरासी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) यह सुनिश्चित किया जाय कि जो अधूरे कार्य प्रारम्भिक स्तर पर है या 20 प्रतिशत तक हुए है, उन्हें रोक दिया जाय और उतनी धनराशि कम करके कार्य कराये जाये। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय हो जाने पर ही द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन की योजना (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तालाबों का सुदृढीकरण एवं पुर्नरूद्वार, चेकडैमों का निर्माण तथा टयूबवेलों का पुर्नरूद्वार) पर व्यय हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य योजना/मद में अनुमन्य नही होगा।

(3) धनराशि का व्यय इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई/स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई/स्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(6) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(7) प्रश्नगत योजना/परियोजना का क्रियान्वयन अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही किया जायेगा।

(8) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को आगामी माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जायें:-

1-	मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-	आवंटन का समर्पण	15-03-2016 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2016 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

3- तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-09-तेरहवें वित्त**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन-0901- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तालाबों का सुदृढीकरण एवं पुर्नरूद्वार, चेकडैमों का निर्माण तथा टयूबवेलों का पुर्नरूद्वार-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन के अ0शा0 सं0-यू0ओ0-ई-2-1252/X-15, दिनांक 07-01-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-02/2016/8958(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी(विकास)/जिला विकास अधिकारी।
6- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
7- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
11- सहायक निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12- एन0आई0सी0 की प्रति।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।